न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 184/2017/225 आर टी ए

1. भूपसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बलराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. बिहारीलाल पुत्र रामजस जाति कुम्हार निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्र0सं0 36/2017 बअनवानी बिहारीलाल बनाम बलराम आदि

उपस्थित :–
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट सं. 1
श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता अपीलांट सं. 2
श्री रामस्वरूप नांदेवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2

निर्णय दिनांकः–11.12.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना कोई जांच किए, बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की बिना कोई जांच किए विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 ने विचारण न्यायालय मे अपने धारण मे चक 2 एमएसटी के प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 8, 9, 12, 13 मे 1.012 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि होनी बता कर उक्त भूमि हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का आवेदन किया था। रेस्पो0 सं. 1 ने सही स्थिति का अंकन प्रार्थना पत्र मे नही किया है। जबकि रेस्पो0 सं. 1 के धारण की भूमि के अतिरिक्त रेस्पो0 व उसके परिवार के सदस्यों के नाम से अन्य भूमि इसी चक मे है। रेस्पो सं. 1 के दादा रामकरण व उसके भाई लाधूराम को न्यायालय डीसीसी

हनुमानगढ़ द्वारा जरिये मिसल सं. 527 दिनांक 29.12.70 को बतौर गैर दाखिलकार चक 2 एमएसटी के प.न. 198/331 मु.न. 13 कि.न. 1 ता 15 व 17 मे कुल 15.14 बीघा व प.न. 198/330 मु.न. 12 कि.न. 7, 8, 11 ता 25 मे 13.19 बीघा, प.न. 199/330 मु.न. 11 कि.न. 17 ता 24 मे 8 बीघा प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 मे 9 बीघा कुल 46.13 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई थी। उक्त भूमि मे अपीलांट के दादा रामकरण का 1/2 हिस्सा था, उक्त भूमि जरिये इंतकाल सं. 27 दिनांक 11.06.92 के द्वारा खातेदारी दर्ज कर दी गई व उक्त भूमि का रेस्पो सं. 1 के पिता रामजस एवं लाधूराम के मध्य खाता विभाजन हो गया।

4. रेस्पो0 बिहारीलाल व उसके भाईयों के मध्य विभाजन होने पर रेस्पो सं. 1 को चक 2 एमएसटी के प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 8, 9, 12, 13 की 1.012 है0 भूमि प्राप्त हुई व अन्य भूमि प.न. 199/331 मु.न. 11 कि.न. 17 ता 24 मे 8 बीघा, प.न. 198/330 मु. न. 12 कि.न. 7, 14, 16, 17, 24, 25 मे 5.8 बीघा कुल 13.08 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 1 के भाई खेताराम को प्राप्त हुई व उसी के कब्जा काश्त मे है। उक्त संपूर्ण भूमि मे जाने हेतु प.न. 198/331 मु.न. 13 के कि.न. 21 ता 25 व प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 21 ता 25 एवं प.न. 198/330 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 एवं प.न. 200/330 कि.न. 21 ता 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता मौके पर चालू है। रेस्पो0 सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे अपने परिवार की भूमि मे से होकर आता जाता है। अपीलांट की भूमि मे कभी भी रास्ता चालू नही रहा है एवं खाता विभाजन से पूर्व रेस्पो0 सं. 1 को अपने संयुक्त खाता की भूमि मे से रास्ता मंजूर करवाना चाहिए था परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने बिना किसी आधार के अपीलांट की भूमि मे रास्ता स्वीकृत करवाया है। रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मे जाने हेतु रेस्पो के भाई खेताराम की भूमि मे मौका पर रास्ता चालू है व केवल मात्र 1 बीघा रास्ता स्वीकृत होने पर रेस्पो0 अपनी भूमि मे आ जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता के संबंध मे अन्य कोई विकल्प के बारे मे जांच नही की व केवल मात्र रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर बिना सुनवाई व जवाब का अवसर दिये व बिना प्रभावित पक्षकार को सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 677, आरआरटी 2017(1) पेज 342, आरआरटी 2016(2) पेज 1281, आरआरडी 2016 पेज 699 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 2 एमएसटी जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 खाता सं. 41/27 के प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 18,

23 मे पूर्वी दिशा की तरफ कि.न. 17 व 24 के चिपते हुए प्रत्येक किला मे 0.013 है0 चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता दक्षिण से उतर दिशा की ओर रास्ता स्वीकृत करने अनुतोष चाहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत किया गया। जिसमे तहसीलदार टिब्बी से मौके रिपोर्ट प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। रेस्पो0 सं. 1 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अगर अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिस कारण रेस्पो0 को अपने खेत मे आने जाने व कृषि यन्त्र ले जाने हेतु असुविधा होगी। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत रास्ता अति आवश्यकता है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

7. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से चक 2 एमएसटी जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 खाता सं. 41/27 के प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 18, 23 मे पूर्वी दिशा की तरफ कि.न. 17 व 24 के चिपते हुए प्रत्येक किला मे 0.013 है0 चौड़ा व 2 बीघा लम्बा रास्ता दक्षिण से उतर दिशा की ओर रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त रास्ता जो अपीलांट की खातेदारी भूमि मे स्वीकृत किया गया, जिसमे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत रास्ता अपीलांट को बिना सुने स्वीकृत किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प.न. 199/331 मु.न. 14 कि.न. 18 व 23 की पूर्व दिशा मौके पर चालू नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश मे वर्णित किया गया कि प्रकरण मे हल्का पटवारी, गिरदावर,

तहसीलदार व मौके पर उपस्थित काश्तकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक नक्शा प्रार्थी को अपनी आराजी मे प्रवेश करने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। जबकि उक्त मौका निरीक्षण की रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न नही है। अपीलांट को अपने पक्ष रखने बाबत कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रभावित पक्षकार को सुने पारित आदेश की पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का 2 माह मे निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

पुनः निर्णय पारित किये जाने तक वर्तमान मे चालू एवं स्वीकृत रास्ता चक 2 एनटीडब्ल्यू–ए के प.न. 189/160 मु.न. 11 कि.न. 7, 14, 17 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व कि.न. 17 व 18 के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम तथा कि.न. 21, 22 के उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम प.न. 188/161 मु.न. 10 के कि.न. 25 के पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण व इसी अनुसार आगे प.न. 188/162 मु.न. 24 के कि.न. 5,6,15,16 के पूर्व दिशा मे पत्थर लाईन से चिपता हुआ उतर से दक्षिण एक एक बिस्वा चौड़ा से रेस्पोडेंट के आवागमन मे अवरोध नही करने के संबंध मे अपीलाण्ट को पाबन्द किया जाता है।